



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257056  
CG-DL-E-10092024-257056

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 517]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

संख्या 04/2024- सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा. का. नि. 559(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 40 00, 7306 50 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 90 11, 7306 90 19 और 7306 90 90 के अंतर्गत आते हैं, और जिसके मामले को अधिसूचना संख्या 7/23/2023-डीजीटीआर, दिनांक 15 जून, 2024 के साथ पठित शुद्धिपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी समाप्त होने से सब्सिडी जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है और विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी को जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज्ड वस्तुओं की पहचान, आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 20, 22 और 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2019-सीमा शुल्क (सीवीडी), दिनांक 17 सितंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 665 (अ), दिनांक 17 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित हुई थी, के अधिक्रमण में सिवाय उन चीजों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयीं या करने से छूट गयीं, केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर उस राशि तक की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (7) में उल्लिखित है, यथा:-

## सारणी

| क्र.सं. | टैरिफ मद                                                                                                                                                                                                                                                    | माल का विवरण                           | मूल देश                         | निर्यात का देश              | निर्माता        | शुल्क राशि के रूप में सीआईएफ का % मूल्य |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                                    | (4)                             | (5)                         | (6)             | (7)                                     |
| 1       | 7304 11 10<br>7304 11 90<br>7304 41 00<br>7304 51 10<br>7304 90 00<br>7305 11 29<br>7305 90 99<br>7306 11 00<br>7306 21 00<br>7306 29 19<br>7306 30 90<br>7306 40 00<br>7306 50 00<br>7306 61 00<br>7306 69 00<br>7306 90 11<br>7306 90 19 या<br>7306 90 90 | वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब | चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश | चीन जन. गण.                 | कोई भी निर्माता | 29.88                                   |
| 2       | -वही-                                                                                                                                                                                                                                                       | -वही-                                  | चीन जन. गण.                     | चीन जन. गण. सहित कोई भी देश | कोई भी निर्माता | 29.88                                   |

|   |       |       |                             |                         |                                              |       |
|---|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------|
| 3 | -वही- | -वही- | वियतनाम                     | वियतनाम सहित कोई भी देश | सोनहा एसएसपी वियतनाम सोल मेंबर कंपनी लिमिटेड | शून्य |
| 4 | -वही- | -वही- | वियतनाम                     | वियतनाम सहित कोई भी देश | स्टील 568 कं, लिमिटेड                        | शून्य |
| 5 | -वही- | -वही- | वियतनाम                     | वियतनाम सहित कोई भी देश | जिया आन्ह हंग येन कंपनी लिमिटेड              | 11.96 |
| 6 | -वही- | -वही- | वियतनाम                     | वियतनाम सहित कोई भी देश | उपरोक्त 3 से 5 के अलावा कोई भी निर्माता      | 11.96 |
| 7 | -वही- | -वही- | वियतनाम के अलावा कोई भी देश | वियतनाम                 | कोई भी निर्माता                              | 11.96 |

**टिप्पण :** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगायी गयी काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

**स्पष्टीकरण –** इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

- (क) ऐसी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।
- (ख) “सीआईएफ मूल्य” से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है।

[फा. सं. 190354/120/2024-टीआरयू]

दिलमिल सिंह सोच, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department Of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2024.

## No. 04/2024-Customs (CVD)

**G.S.R. 559(E).**—Whereas, in the matter of “Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 40 00, 7306 50 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 *vide* notification No. 7/23/2023-DGTR, dated the 15<sup>th</sup> June, 2024 read with corrigendum dated 28<sup>th</sup> August, 2024 has *inter alia* come to the conclusion that the cessation of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidisation and injury to the domestic industry and has recommended continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act read with rules 20, 22 and 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 4/2019-Customs (CVD), dated the 17<sup>th</sup> September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 665(E), dated the 17<sup>th</sup> September, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a countervailing duty at the rate specified in the corresponding entry in column (7) of the said Table, namely:—

TABLE

| S.No. | Tariff Item                                                                                                                                                                                                                                                 | Description of goods                   | Country of origin               | Country of export | Producer     | Duty amount as a % of CIF Value |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| (1)   | (2)                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                                    | (4)                             | (5)               | (6)          | (7)                             |
| 1     | 7304 11 10<br>7304 11 90<br>7304 41 00<br>7304 51 10<br>7304 90 00<br>7305 11 29<br>7305 90 99<br>7306 11 00<br>7306 21 00<br>7306 29 19<br>7306 30 90<br>7306 40 00<br>7306 50 00<br>7306 61 00<br>7306 69 00<br>7306 90 11<br>7306 90 19 or<br>7306 90 90 | Welded stainless steel pipes and tubes | Any country other than China PR | China PR          | Any producer | 29.88                           |

|   |      |      |                                |                                |                                               |       |
|---|------|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 2 | -do- | -do- | China PR                       | Any country including China PR | Any producer                                  | 29.88 |
| 3 | -do- | -do- | Vietnam                        | Any country including Vietnam  | Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited | NIL   |
| 4 | -do- | -do- | Vietnam                        | Any country including Vietnam  | Steel 568 Co., Ltd                            | NIL   |
| 5 | -do- | -do- | Vietnam                        | Any country including Vietnam  | Gia Anh Hung Yen Co., Ltd.                    | 11.96 |
| 6 | -do- | -do- | Vietnam                        | Any country including Vietnam  | Any producer other than 3 to 5 above          | 11.96 |
| 7 | -do- | -do- | Any country other than Vietnam | Vietnam                        | Any producer                                  | 11.96 |

**Note :-** The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.** – For the purposes of this notification,–

- the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act and,
- “CIF value” means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 190354/120/2024-TRU]

DILMIL SINGH SOACH, Under Secy.